

नोंदळ :- हैकी गोरे



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.) भिलाई पश्चिम ब्लॉक, मर्डेग निवास

## विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - ०५/१०/२०२१ से ०५/१०/२०२४



- इस प्रमाणपत्र की भागीदारी की धारा 23(1) के अधीन यह यथा अधिकारित दूसरातम वर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक विद्यके पास इस अधिकारियम के प्राप्त यथा दूसरातम वर्हताओं गहरी है, ०५ वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी यथावत योग्यताएँ अर्जित करोगे।
- अध्यापक अधिकारियम की धारा 24 (1) के अधीन विद्यालय अपने कारबाहों का पालन करेंगे, और
- अध्यापक द्वारा को दिली भिली यथावत छियाकलारों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय सम्बन्धित प्राचीनकालीन अधिकारित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिकारियम की धारा १९ में व्याविचारित विद्यालय के मानकों और संविधानों को बनाये रखेगा। अंतिम व्याविचारण के समाप्त विद्यालय की गई प्रत्येक विद्यालय नियमानुसार है-
- विद्यालय परिवर्त का बोधकर्ता  
कृष्ण निर्मित का लेखकर्ता  
द्वेष के मेधाव का विवरकर्ता  
कक्षाओं की नियन्त्रण  
प्रधानपादक सह-कार्यालय सह-भर्तार के सिए कक्ष  
बालकों और बालिकाओं के लिए प्रृथक बीचाराय  
पेयजल संविधान  
स्थानक लोगों पकाने हेतु रसोई  
बालारहित पहुँच
- अध्यापक यथा सामग्री / ड्रिडा लेखकर्ता के उपलब्धता / पुस्तकालय की उपलब्धता :
- विद्यालय परिवर्तों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई नीर मान्यता प्राप्त कराने गहरी चर्चाई जायेगी।
- विद्यालय भवनों पर यथा संरक्षणों या स्मर्त्रों का प्रयोग करके विद्या और कौशल विकास के प्रयोगान्तरों के लिए किया जायेगा।
- विद्यालय की सोसायटी रजिस्टरेशन अधिकारियम १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रेशन किसी सोसायटी द्वारा या तदनुमय प्रृथक विद्यालय की अधीन राखिए जानी जाएगी।
- विद्यालय को विद्यालय की एक प्रत्येक वर्ष विद्यालय की भेदी जानी जाएगी।
- आपके विद्यालय को आवृद्धि मान्यता कोड संख्या ०३/२०/०१ है। कृपया इसे बोट कर लें और इस कार्यालय के साथ विद्यालय के लिए इस संक्षाक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रदान करेगा जो विद्या विवेकानन्द / विद्या विद्या अधिकारी द्वारा समय-समय पर आरेखित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्रशिकारी के लिए निवेदी का पालन करेगा जो मान्यता संवेदी जाती के सतत भवित्वाने के सुनिश्चित करने पर विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
- सोसायटी के रजिस्टरेशन के नवीनीकरण यह कोई ही तो सुनिश्चित किया जाए।
- संलग्न यारिसांख्य तीन के अनुसार अयोग्य नहीं हैं।

विद्या विद्या अधिकारी  
दृष्टि

फोन नं. ०७८८-२३२२३५

प्राप्ति - दो

फोन नं. ०७८८-२१११२४२

कार्यालय विद्या विद्या अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / ११३७ / मायाता / २०२१

प्रति, प्रबंधक, प्रियतील भट्टा-द्वितीय  
महोदय विद्यालय निवास

दुर्ग, विद्यालय निवास / २०२१

प्रतिशेष Shiksha Samiti

विषय : नियुक्त और अविवार्य वाल विद्या का अविवार्य अधिकारियम २००९ की धारा १० के प्राप्तोंन के लिए, नियुक्त और अविवार्य वाल विद्या का अधिकार विद्या, २००९ के वियम ११ के उप-वियम (४) के प्रधीन विद्यालय के लिए

विद्यालय विद्यालय मान्यता प्रदान करने की सुनुचना देता है।

महोदय / भट्टा-द्वितीय,

आपके अवेदन पत्र की तारीख १०/०६/२०२१, के संबंध में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती प्रबंधन / विद्यालय के उपरांत में प्रियतील भट्टा-द्वितीय विद्यालय का वाल पता सुनित को वाल विद्या का अधिकार विद्या, २००९ के वियम ११ के उपरांत में तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अवधिवाल यात्याता प्रदान करने की सुनुचना देता है।

उपरोक्त महोदय विद्यालय वालों के पूरा किये जाने की अवधिवाल है।

१. वालों की लीकृत विद्यालयीय वहाँ है और उसमें किसी भी काम से कारबाहों के प्रस्ताव मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई वालवाल विद्यालय नहीं है।

२. विद्यालय विद्या विद्या का अधिकार अधिकारियम २००९ (प्रियतील-एक) और नियुक्त

और अविवार्य वाल विद्या का अधिकार विद्या, २००९ (प्रियतील- दो) के उपरांतों का पालन करेगा।

३. विद्यालय, काला एक में (या वायाप्ति वर्षी काला में) उत्काल में बच्चों की संख्या के २५% प्रतिशत तक आम-प्रबंधन के कामबोर वालों और त्रिविधा विद्यालय समूह के बच्चों को प्रबंधन प्रदान करेगा और उन्हें नियुक्त और अवधिवाल प्रावधान वालों द्वारा पूरा होने तक विद्यालयीय वालों को प्रबंधन प्रदान करेगा। यद्युपरांत वालों के प्रबंधन विद्यालय में विद्यालयीय वालों को प्रबंधन करेगा।

४. प्रेरा ०३ में विद्यालयीय वालों को अधिकारियम २००९ (प्रियतील- दो) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

५. दोनों विद्यालय विद्यालयीय वालों को प्रबंधन करेगा।

६. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आप साथ व दोनों के कारबाह प्रबंधन देने से इकठ्ठे वर्षी कालों की अवधि विद्यालयीय वालों के उपरांतों का पालन करेगा। विद्यालय विद्यालयीय वालों के अवधिवाल करेगा।

७. प्रबंधन देने वाले विद्यालयीय वालों को विद्यालय में उक्ती प्रावधानिक विद्या पूरी होने तक विद्यालयीय वालों को विद्यालय से विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

८. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

९. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१०. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

११. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१२. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१३. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१४. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१५. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१६. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१७. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१८. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

१९. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२०. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२१. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२२. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२३. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२४. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२५. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२६. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२७. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२८. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

२९. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३०. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३१. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३२. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३३. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३४. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३५. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३६. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३७. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३८. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

३९. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४०. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४१. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४२. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४३. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४४. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४५. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४६. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४७. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४८. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

४९. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५०. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५१. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५२. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५३. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५४. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५५. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५६. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५७. विद्यालयीय वालों को अवधिवाल करने के लिए विद्यालयीय वालों की अवधिवाल वहाँ किया जायेगा।

५८. विद्यालयीय वालों को अवध